न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास श्री भगवती प्रसाद, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. 07/2010

प्रार्थी
पंचायत प्रसार अधिकारी पंचायत समिति आबूरोड़ जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थीगण
1. सरपंच ग्राम पंचायत, सरपंच।
2. श्रीमती नसरीम बानो पत्नि श्री आजाद खान निवासी डी./690 रिको हाउसिंग कॉलोनी आबूरोड़ जिला सिरोही।

पंचायत निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थितिः–
1. सहायक विकास अधिकारी सिरोही।
2. श्री मोहम्मद परवेज खान, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या एक की ओर से।
3. श्री अश्विन मरडिया, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या दो की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 16.04.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना–पत्र राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत सरपंच ग्राम पंचायत, सांतपुर द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी किया गया प्रस्ताव संख्या 02 (1 से 4) दिनांक 28.07.2008 को निरस्त कराने हेतु इस बिनाय पर प्रस्तुत किया कि उक्त प्रस्ताव राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के तहत जारी किया गया है, जो विधिविरूद्ध है।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या दो की ओर अधिवक्ता श्री अश्विन मरडिया ने जरिये वकालतनामा के उपस्थिति दी। प्रकरण मे दोनो पक्षों की विस्तृत बहस सुनी गई ।

प्रार्थी की ओर से दौराने बहस मेरा ध्यान प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत सांतपुर द्वारा अप्रार्थी संख्या दो को नियमो के विपरित राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के तहत प्रस्ताव संख्या 02 (1 से 4) दिनांक 28.07.2008 जारी किया है। ग्राम पंचायत सांतपुर द्वारा अप्रार्थी संख्या दो को जो निर्माण कार्य की स्वीकृति दी गई है उसके निर्णय में अंकित है कि नियमानुसार राशि 100/- [illegible] जमा कर निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान की जावे परन्तु उक्त निर्णय में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 68(झ) में दर्शाया गया है कि पंचायत द्वारा निर्माण कार्य में 1/- रूपया प्रति वर्गमीटर की दर से राशि जमा की जावे। ग्राम पंचायत [illegible] प्रशासनिक स्वीकृति [illegible] 116 दिनांक 05.08.2008 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उक्त स्वीकृति सिरोही [illegible] का पट्टा संख्या 173 दिनांक 24.09.1948 में से र[illegible] दिनांक 26.09.2007 द्वारा [illegible] शुदा भूखण्ड पर चार दीवारी निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी निर्माण स्वीकृति खसरा संख्या 41 कुल रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा जो राजस्व रिकार्ड अनुसार खातेदारी भूमि पंचायत समिति आबूरोड के नाम दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.27 12:20:22 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

आवश्यक दस्तावेज यथा मौका फर्द दिनांक 14.10.2008 संलग्न है। ग्राम पंचायत सांतपुर द्वारा अप्रार्थी संख्या दो को जारी की गई निर्माण स्वीकृति का लाभ उठाकर अवैध निर्माण खसरा संख्या 41 में अवकाश के दिन किया गया। विकास अधिकारी पंचायत समिति आबूरोड द्वारा अपने पत्रांक/पं./वि.–1 दिनांक 30.09.2008 को अप्रार्थी संख्या दो को दिया गया जो तामिल हुआ। पत्र थानाधिकारी आबूरोड शहर को भी दिया गया। अप्रार्थी संख्या दो द्वारा नियमों को ताक में रखकर खातेदारी भूमि खसरा संख्या 41 में 100×100 कुल 10000 वर्गमीटर क्षेत्र में अवैध निर्माण व कब्जा किया। डी.एल.सी. दर अनुसार भूमि की कीमत 60 लाख होती है, जिसका आर्थिक नुकसान पंचायत समिति आबूरोड को ग्राम पंचायत सांतपुर की लापरवाही के कारण हुआ है। पंचायत द्वारा उक्त प्रस्ताव पारित करने से पूर्व आज्ञापक प्रावधानों की पालना नही की है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रस्ताव संख्या 02 (1 से 4) दिनांक 28.07.2008 को निरस्त करने के आदेश फरमावें।

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से उनके लायक अधिवक्ता श्री मोहम्मद परवेज खान द्वारा मेरा ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 2 को जारी प्रस्ताव संख्या 02 (1 से 4) दिनांक 28.07.2008 नियमों के अनुरूप राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के तहत ही जारी किया गया है। प्रस्ताव पारित करते समय पंचायत द्वारा कोई अनियमितता नहीं बरती गई है। अतः प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना फरमावें।

अप्रार्थी संख्या दो के लायक अधिवक्ता श्री अश्विन मरडिया द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान इस निगरानी मे प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि पंचायत द्वारा प्रस्ताव संख्या 02 (1 से 4) दिनांक 28.07.2008 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1996 के तहत जारी किया गया है जो नियमानुसार सही है। ग्राम पंचायत सांतपुर द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के आवेदन पर निर्माण कार्य की स्वीकृति दिए जाने के सम्बन्ध में लिया गया प्रस्ताव व अनुमति विधि सम्मत है। प्रार्थी नियम 68(झ) के प्रावधानों को व उनकी मंशा को समझने में विफल रहा है। नियम 68(झ) के प्रावधान आज्ञापक नहीं है। अप्रार्थी संख्या दो द्वारा 84 वर्गमीटर निर्माण कार्य हेतु 100/– रूपये की राशि जमा करवाई गई। अप्रार्थी संख्या दो को ग्राम पंचायत से अनुमति लेने के आवश्यकता ही नहीं थी। विवादित भूमि अप्रार्थी संख्या दो के स्वामित्व व कब्जे की भूमि है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति पत्रांक 116 दिनांक 05.08.2008 में अंकित प्रविष्ठियों से स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या दो द्वारा क्रयशुदा भूमि के प्रलेखों के आधार पर अप्रार्थी संख्या एक ने विधि अनुसार निर्माण स्वीकृति प्रदान की है। अप्रार्थी संख्या एक द्वारा दिनांक 05.05.2008 के प्रस्ताव संख्या 5(2) के जरिए अप्रार्थी संख्या दो की क्रयशुदा प्रश्नगत भूमि का नामान्तरकरण अप्रार्थी संख्या दो के नाम अमलदरामद किया गया है। निर्माण स्वीकृति से यदि कोई पक्षकार व्यथित है तो सक्षम न्यायालय में निर्माण स्वीकृति को चुनौति दे सकता है।

Signature Not Verified

पंचायतीराज अधिनियम व उसके [illegible] बने गए नियमों में निर्माण कार्य की अनुमति प्राप्त करने का कोई [illegible] जानकारी में अप्रार्थी संख्या एक द्वारा प्रक्रिया की [illegible] विधिवार की [illegible] है, जिसमें किसी भी प्रकार कोई अनियमितता नहीं है। अप्रार्थी [illegible] निर्माण स्वीकृति प्रदान की गई है वह भूमि भौतिक रूप से आबादी भूमि में है। [illegible] समिति आबूरोड की खातेदारी भूमि कभी नहीं रही। प्रश्नगत भूमि का पट्टा संख्या 173 दिनांक 24.09.1948 तत्कालीन सिरोही रियासत द्वारा वैद्य त्रिलोकचंद पुत्र श्री लल्लूभाई निवासी आबूरोड के नाम से जारी किया गया था। तत्पश्चात उनके उत्तराधिकारी डॉक्टर सेवंतीलाल को प्राप्त हुई एवं

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.27 12:20:22 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

डॉ. सेवंतीलाल से अप्रार्थी संख्या दो ने पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 26.09.2007 के जरिए 60×67 वर्गफीट भूमि क्रय कर कब्जा प्राप्त किया। प्रश्नगत भूमि राजस्थान राज्य को निहित नहीं हुई और न ही अभिधृति अधिनियम प्रभाव में आने से पूर्व कृषि भूमि थी। अप्रार्थी संख्या दो ने निर्माण कार्य अपने स्वामित्व व कब्जे की भूमि पर किया था। इस हेतु कोई दिन या समय देखने की आवश्यकता नहीं थी। अप्रार्थी संख्या दो प्रारम्भ किया गया निर्माण कार्य पट्टा संख्या 173 की आबादी भूमि पर था न कि खसरा संख्या 41 की भूमि पर।

विकास अधिकारी पंचायत समिति आबूरोड को स्थगन आदेश जारी करने का हक नही था। अप्रार्थी संख्या दो द्वारा विधि अनुसार निर्माण स्वीकृति प्राप्त कर क्रय शुदा भूमि पर ही निर्माण प्रारम्भ करवाया है। अप्रार्थी संख्या एक ने न तो लापरवाही की है और न ही आर्थिक क्षति अप्रार्थी संख्या एक के किसी कृत्य के कारण हुई है। प्रार्थी के कथनानुसार भी भूमि ग्राम पंचायत की नहीं है। अप्रार्थी की निगरानी 05/2010, 06/2010, 07/2010 में 100×100 वर्गफीट भूमि पर जोधपुरी पट्टियां लगाए जाने का कथन किया है जबकि पट्टा संख्या 173 की कुल भूमि 100×100 वर्गफीट है जो पृथक–पृथक व्यक्तियों को पृथक–पृथक विक्रय विलेखों के जरिए क्रय की थी। विकास अधिकारी आबूरोड द्वारा दिनांक 30.09.2008 को स्थगन आदेश जारी किया गया। विवाद के विकास अधिकारी के समक्ष लम्बित रहते निगरानी माननीय न्यायालय में पोषणीय नहीं है। विकास अधिकारी पंचायत समिति आबूरोड द्वारा विधि विरूद्ध बाधा उत्पन्न की जा रही थी, से क्षुब्ध होकर अप्रार्थी संख्या दो द्वारा विकास अधिकारी पंचायत समिति आबूरोड, तहसीलदार आबूरोड एवं अप्रार्थी संख्या एक के विरूद्ध श्री सिविल जज (क.ख.) आबूरोड में वाद प्रस्तुत किया जो दिनांक 16.09.2019 को निर्णित हुआ। उक्त निर्णय में पट्टा संख्या 173 दिनांक 24.09.1948 के क्रेता होने से आधिपत्य में बने रहकर क्रयशुदा भूखण्डों के उपयोग–उपभोग के अधिकारी है। क्रयशुदा भूखण्डों के विधि पूर्वक उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार का दखल या बाधा कारित नहीं की जाए। अतः प्रार्थी ने अप्रार्थी को हैरान परेशान करने से यह निगरानी प्रस्तुत की है जिसे खारिज करना फरमायें।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया । प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं अप्रार्थी संख्या एक के अधिवक्ता द्वारा की गई बहस एवं अप्रार्थी संख्या दो की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं पत्रावली का भलिभॉति नियमों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो निष्कर्ष निम्न प्रकार है :–

ग्राम पंचायत, सांतपुर द्वारा प्रस्ताव संख्या 02 (1 से 4) दिनांक 28.07.2008 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1996 के तहत जारी किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करने पर प्रतीत होता है कि अप्रार्थी संख्या दो के पास विवादित भूमि का पट्टा संख्या 173 दिनांक 24.09.1948 रियासत काल में सिरोही स्टेट द्वारा आबादी भूमि के रूप में जारी किया गया था लेकिन पत्रावली पर पट्टे की प्रमाणित प्रति का अभाव है [illegible] करता है। अप्रार्थी संख्या दो द्वारा जो बाउण्ड्री वॉल का निर्माण किया जा रहा [illegible] राजस्व रेकर्ड में जिसका खसरा संख्या 41 कुल रकबा 4 [illegible] समिति की परिसम्पत्ति में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है उक्त भूमि [illegible] रिपोर्ट दिनांक 14.10.2008 में दर्शाया गया है। इससे [illegible] विवादित भूमि पंचायत समिति आबूरोड की सम्पत्ति है। पंचायत समिति [illegible] की स्वीकृति देने का अधिकार ग्राम पंचायत सांतपुर को नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा अपने निर्णय में राशि 100/– रूपये ली जाकर स्वीकृति देने का निर्णय लिया गया है जबकि राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 68 (झ) के अन्तर्गत 1 रूपया प्रति वर्गमीटर के हिसाब से राशि ली जाना थी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.27 12:20:22 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

उक्त सभी अनियमितताओं एवं पत्रावली पर पट्टे की प्रमाणित प्रति उपलब्ध होने से यह न्यायालय ग्राम पंचायत सांतपुर द्वारा जारी प्रस्ताव संख्या 02 (1 से 4) दिनांक 28.07.2008 को न्यायसंगत नहीं मानता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत सांतपुर द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 02 (1 से 4) दिनांक 28.07.2008 को निरस्त किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.27 12:20:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner